1

न्यायालय विशेषाधिकारी, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज. जयपुर।
(हाल कार्यालय राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर)

क्रमांक :– ओ.एस.डी. / नविवि / 17 / 490 दिनांक :– 7-7-2017

–: अवार्ड :–

विषय :– केन्द्रीय भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 यथा संशोधित 1984 की धारा 11 सपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 24(क) के तहत राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय योजना के अन्तर्गत ग्राम चकगर्बी मुक्ता प्रसाद नगर, बीकानेर में कुल रकबा 46–05 बीघा का अवार्ड जारी करने बाबत।

संदर्भ :– अधिसूचना क्रमांक प.7(23)नविवि / III / 12 जयपुर दिनांक 18.09.2012

राजस्थान आवासन मण्डल हेतु सार्वजनिक हित में आवासीय प्रयोजनार्थ भूमि अवाप्ति की अधिसूचना ग्राम चकगर्बी मुक्ता प्रसाद नगर बीकानेर में कुल रकबा 46–05 बीघा के लिए अन्तर्गत धारा 4(1) राज्य सरकार द्वारा दिनांक 18.09.2012 को जारी की गयी जिसमें भूमि अवाप्ति अधिनियम 1894 की धारा 4(2) के तहत विशेषाधिकारी नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, हाल कार्यालय राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर को भूमि अधिग्रहण हेतु अधिकृत किया गया। उक्त अधिसूचना का दिनांक 21.09.2012 को राजस्थान राज–पत्र के विशेषांक में प्रकाशन कराया गया। इसी प्रकार अधिसूचना का दो समाचार पत्रों "दैनिक भास्कर" व "राष्ट्रदूत" बीकानेर संस्करण में दिनांक 18.12.2012 को सार्वजनिक हित में व्यापक प्रचार–प्रसार की दृष्टि से अधिसूचना के पब्लिक नोटिस दिनांक 09.01.2013 सम्बन्धित को जारी कर जरिए आवासीय अभियन्ता तामील करवाए गये जिनकी अन्तिम तामीली की दिनांक 01.07.2013 अंकित की गयी है। इस प्रकार धारा 4(1) की अंतिम प्रकाशन की तिथि 01.07.2013 निश्चित की गयी है।

प्रकरण में धारा 4(1) के प्रकाशन के पश्चात् प्राप्त सभी आपत्तियों का निस्तारण कर राज्य सरकार को धारा 5ए के तहत् मौका रिपोर्ट दिनांक 07.05.2014 को प्रेषित की गई जिसमें सम्पूर्ण भूमि कुल रकबा 46–05 बीघा की धारा 6 की कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित किया गया। राज्य सरकार द्वारा धारा 6 की अधिसूचना दिनांक 27.06.2014 को कुल रकबा 46–05 बीघा जारी की गयी थी। अधिसूचना का राजस्थान के राजपत्र के विशेषांक में दिनांक 07.07.2014 को प्रकाशन करवाया गया तथा दो स्थानीय समाचार पत्रों "दैनिक भास्कर" व "राजस्थान पत्रिका" बीकानेर संस्करण में दिनांक 19.06.2015 को प्रकाशन करवाया गया। पब्लिक नोटिस अन्तर्गत धारा 6(2) दिनांक 21.07.2015 को जारी कर जरिए आवासीय अभियंता तामील करवाये गये जिसके अनुसार **अन्तिम तामीली की दिनांक 04.08.2017 अंकित** की गई। अवाप्ति प्रक्रिया में आगे व्यापक प्रचार–प्रसार हेतु सार्वजनिक हित में धारा 9(1) के पब्लिक नोटिस दिनांक 27.06.2015 एवं धारा 9(3) के व्यक्तिगत नोटिस दिनांक 03.04.2017 को जारी कर जरिए आवासीय अभियंता तामील करवाये गये जिसमें खातेदारों से राज्य सरकार के परिपत्र दिनांक 27.10.2005 के क्रम में विकसित भूखण्ड लेने का विकल्प भी प्रस्तुत किया जा सकता है, बाबत सूचित किया गया। धारा 9(3) के व्यक्तिगत नोटिस के क्रम में किसी भी खातेदार द्वारा विकसित भूखण्ड का विकल्प नही दिया गया। अतः नकद मुआजवे का निर्धारण किया जा रहां है।

संयुक्त शासन सचिव
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

धारा 6 की अधिसूचना के अनुसार ग्राम चकगर्बी मुक्ता प्रसाद नगर बीकानेर में कुल रकबा 46–05 बीघा में अवाप्ताधीन भूमि का विवरण निम्न प्रकार है :–

ग्राम चकगर्बी मुक्ता प्रसाद नगर बीकानेर

क्र. सं.	नाम खातेदार	खसरा नं.	रकबा (बीघा–बिस्वा)	किस्म जमीन
1	1. लक्ष्मी पत्नी नरसाराम 2. गोपाल पुत्र नरसाराम 3. पंकज पुत्र नरसाराम 4. गीता पुत्री नरसाराम जाति जाट सा. बरसिंहसर 5. शान्ति धर्मपत्नी लूम्बाराम 6. सरोज पुत्री लूम्बाराम 7. कुम्भाराम पुत्र धन्नाराम 8. पदमाराम पिता धन्नाराम कौम जाट सा. चिताना, तह. नौखा हिस्सा बराबर	940 / 743	1 / 8(5–15बिस्वा) 1 / 8(5–15बिस्वा) 1 / 8(5–15बिस्वा) 1 / 8(5–15बिस्वा) 1 / 8(5–15बिस्वा) 1 / 8(5–15बिस्वा) 1 / 8(5–15बिस्वा) 1 / 8(5–15बिस्वा)	बंजड़
2.	श्री जैठाराम दत्तक पुत्र टीकूराम कौम माली निवासी–बीकानेर आरजी काश्तकार संवत 2011	756 मि.	16 बीघा 06 बिस्वा	बंजड़
3.	श्री जैठाराम दत्तक पुत्र टीकूराम कौम माली निवासी–बीकानेर आरजी काश्तकार संवत 2011	756 मि.	04 बीघा 04 बिस्वा	बंजड़
4.	1. सुन्दर देवी धर्मपत्नी रामदेव, विष्णु पुत्र रामदेव, सोना देवी धर्मपत्नी मूलचन्द जाति माली सा. बीकानेर खातेदार 2. लुम्बाराम पुत्र फुंसाराम जाति जाट 3. पदमाराम पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी–चिताना तहसील नौखा 4. श्री सरेश विश्नोई पुत्र फुसाराम विश्नोई बीकानेर	758 मि.	10 बीघा 0 बिस्वा 04 बीघा 0 बिस्वा 04 बीघा 18 बिस्वा 01 बीघा 02 बिस्वा	बंजड़
	कुल रकबा		46–05 बीघा	

प्रश्नगत भूमि के अन्तर्गत धारा 9(1) के पब्लिक नोटिस एवं खातेदारों को व्यक्तिगत नोटिस धारा 9(3) के जारी किये जिसके सन्दर्भ में निम्नलिखित खसरो के अन्तर्गत हितधारियो ने आपत्तियां प्रस्तुत किया। जिनका विवरण निम्न प्रकार से है :–

(1) – **खसरा नं. 756** में प्रार्थी श्री जेठाराम दत्तक पुत्र श्री टिकूराम, श्री यशपाल गहलोत पुत्र श्री जेठाराम ने निवेदन किया है कि उक्त भूमि बड़ी तादाद में आवासीय पट्टे कटे हुए है, मकानात, टाईल फैक्ट्री, गोदाम इत्यादि बने हुये है। हमारा पूरा परिवार इसी जमीन पर निर्भर है तथा आवासन मण्डल कॉलोनी से हमारी भूमि दूर है। अतः उक्त भूमि को अवाप्ति से मुक्त किया जावे।

प्रकरण में दस्तावेजो का अवलोकन किया गया प्रार्थी ने अपने कथन के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया। प्रकरण में अधिनियम के प्रावधानों के तहत् खातेदार अवाप्ताधीन भूमि के मुआवजे के सम्बन्ध में धारा 9(3) के तहत् क्लेम प्रस्तुत कर सकते है। जबकि खातेदार ने कोई

संयुक्त शासन सचिव
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग

विधिवत क्लेम प्रस्तुत नही किया आपत्ति प्रस्तुत की है। जिसमें उनके द्वारा भूमि को अवाप्ति से मुक्ति की प्रार्थना की गई है जो इस स्तर पर पोषणीय नही है।

(2) – **खसरा नं. 758** में प्रार्थी श्री नरसाराम, मूलचन्द, मांगीलाल, लुम्बाराम, विष्णु सुरेश ने निवेदन किया है कि उक्त अवाप्ति की कार्यवाही कानून के विपरित है। अतः सम्पूर्ण कार्यवाही को ड्रोप करवाया जावे।

प्रकरण में दस्तावेजो का अवलोकन किया गया प्रार्थी ने अपने कथन के समर्थन में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नही किया। प्रकरण में अधिनियम के प्रावधानों के तहत् खातेदार अवाप्ताधीन भूमि के मुआवजे के सम्बन्ध में धारा 9(3) के तहत् क्लेम प्रस्तुत कर सकते है। जबकि खातेदार ने कोई विधिवत क्लेम प्रस्तुत नही किया आपत्ति प्रस्तुत की है। जिसमें उनके द्वारा भूमि को अवाप्ति से मुक्ति की प्रार्थना की गई है जो इस स्तर पर पोषणीय नही है।

भूमि का मुआवजा निर्धारित करने हेतु सम्बन्धित आवासीय अभियंता से धारा 4(1) की अधिसूचना की दिनांक 18.09.2012 को प्रचलित भूमि की डी.एल.सी. दरें की प्रमाणित प्रति, जमाबन्दी, सर्वे रिपोर्ट, नक्शा ट्रेस व तकमीना मंगवाने हेतु आवासीय अभियन्ता को दिनांक 17.05.2013, 03.01.2014, 03.03.2014 को सूचित किया गया। जिसके जवाब में आवासीय अभियन्ता ने दिनांक 12.03.2014 को गूगल नक्शा व मौका रिपोर्ट प्रेषित किया। इस के उपरान्त अवार्ड निर्धारण बाबत् राज्य में लागू नवीन अधिनियम की धारा 23 के तहत् किये जाने हेतु धारा 4(1) की अधिसूचना दिनांक 18.09.2012 से पूर्ववर्ती तीन वर्षो के दौरान ग्राम चकगर्बी मुक्ता प्रसाद नगर बीकानेर में तथा उसके निकटवर्ती क्षेत्र में अवाप्ताधीन भूमि की समकक्ष भूमि के लिए रजिस्ट्रर्ड विक्रय विलेखों के आधार पर औसत विक्रय मूल्य क्या रहा था योजना नगर परिषद् बीकानेर में अवस्थित है अथवा ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित है मय न्यायालय में विचाराधीन प्रकरणो की सूचना आवासीय अभियन्ता से पत्र दिनांक 17.01.2017, 14.02.2017, 08.03.2017 व 03.04.2017 व उप पंजीयक बीकानेर को पत्र दिनांक 17.01.2017, 14.02.2017, 08.03.2017 व 03.04.2017 के द्वारा चाही गई। जिसके प्रत्युत्तर में आवासीय अभियन्ता ने अपने पत्र दिनांक 27.03.2017, 03.05.2017 व 25.05.2017 के द्वारा तकमीना, नक्शा ट्रेस, डी.एल.सी. दरो के प्रमाणित प्रति तथा नगर परिषद् के क्षेत्राधिकार में अवस्थित होने बाबत् सूचित किया तथा उप पंजियक बीकानेर का पत्र दिनांक 24.05.2017 से डी.एल.सी. दरें भी संलग्न की।

उप पंजीयक बीकानेर से प्राप्त डी.एल.सी. दरे (औसत विक्रय मूल्य वर्ष 2009, 2010, 2011) निम्न प्रकार से है।

पंजीबद्व दस्तावेजों के अनुसार जो कि (डी.एल.सी. दरो के अनुसार) न्यूनतम एवं अधिकतम प्रतिफल राशी प्रति बीघा

<u>ग्राम चकगर्बी मुक्ता प्रसाद नगर</u>

क्र. सं.	वर्ष	कृषि भूमि की दर प्रति बीघा में	
		डीएलसी दर मुख्य सडक	डीएलसी दर साइड रोड
1.	2009–10	2,20,000	1,65,000
2.	2010–11	2,97,000	2,22,750
3.	2011–12	3,41,550	2,56,163

संयुक्त शासन सचिव
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान जयपुर

वर्ष 2012 की डी.एल.सी. (कृषि) दरे उप पंजीयक बीकानेर के अनुसार निम्न प्रकार से है।

क्र. सं.	वर्ष	कृषि भूमि की दर प्रति बीघा में	
		डीएलसी दर मुख्य सडक	डीएलसी दर साइड रोड
1.	2012	3,75,706	2,81,780

दर का निर्धारण :– अधिसूचना में खातेदारो की भूमि में तीन वर्षो के पंजीबद्व दस्तावेजों का अवलोकन किया गया, डी.एल.सी. के न्यूनतम/अधिकतम दरों का भी अवलोकन किया गया जो कि सम्बन्धित वर्ष की डी.एल.सी. दरो से कम होने के कारण मुआवजा निर्धारण का आधार सम्बन्धित वर्ष 2012 को प्रचलित डी.एल.सी. ग्राम चकगर्बी मुक्ता प्रसाद नगर, बीकानेर में डीएलसी दर मुख्य सडक पर 3,75,706 रूपये व डीएलसी दर साइड रोड पर 2,81,780 रूपये प्रति बीघा बनती है।

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के प्रावधानो के अनुसार तीन वर्षो का औसत विक्रय मूल्य ओर धारा 4(1) के समय प्रचलित डी.एल.सी. दर में जो अधिक होगा मुआवजा स्वरूप वह देय होगा। अतः मेरी राय में अवाप्ताधीन सम्पूर्ण कृषि भूमि बंजड़ श्रेणी की है तथा समस्त राजस्थान आवासन मण्डल की आवासीय योजना के पास अवस्थित होने के कारण अधिकतम 3,75,706 रूपये दिया जाना संस्तुत करता हूँ। आवासीय योजना हेतु उपयुक्तता एवं भविष्य में होने वाले विकास तथा पौटेन्शियलटी को ध्यान में रखते हुये भू–अर्जन अधिनियम की धारा 26 में वर्णित दिग्दर्शकों के अनुसरण में तथा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उक्त समस्त अवाप्ताधीन भूमि ग्राम चकगर्बी मुक्ता प्रसाद नगर, बीकानेर का उपयोग आवासीय प्रयोजनार्थ किया जायेगा। अतः ग्राम चकगर्बी, बीकानेर की समस्त अवाप्ताधीन कृषि भूमि की दर 3,75,706/– रूपये प्रति बीघा की दर (18,785 रूपये प्रति बिस्वा) निर्धारण करना उचित समझता हूं।

आवासीय अभियन्ता राजस्थान आवासन मण्डल खण्ड बीकानेर ने अपने पत्रांक 130 दिनांक 03.05.2017 से अवगत करवाया है कि ग्राम चकगर्बी मुक्ता प्रसाद नगर, बीकानेर में अवाप्ताधीन भूमि के समस्त खसरे नगर परिषद् बीकानेर के क्षेत्राधिकार में अवस्थित है। भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत मुआवजा निर्धारण करते समय अनुसूची प्रथम के अनुसार ग्राम चकगर्बी मुक्ता प्रसाद नगर बीकानेर क्षेत्र में होने के कारण बाजार मूल्य कारक एक से गुणित किया जावेगा इस दशा में जो निर्धारण उपरोक्तानुसार किया गया है उसी अनुसार मुआवजा देय है। उपरोक्त के अलावा शत प्रतिशत तोषण (Solatium) देय होगा।

मुआवजे की गणना निम्नानुसार है :–

335

ग्राम चकगर्बी मुक्ता प्रसाद नगर बीकानेर

क्र. सं.	वाद संख्या	खातेदार का नाम	खसरा नं.	रकबा (बीघा–बिस्वा)	नगद मुआवजा/25 प्रतिशत विकसित भूखण्ड	
1	2	3	4	5	6	7
1	7(23)/3/1	1.लक्ष्मी पत्नी नरसाराम 2.गोपाल पुत्र नरसाराम 3.पंकज पुत्र नरसाराम 4.गीता पुत्री नरसाराम जाति जाट सा. बरसिंहसर। 5.शान्ति धर्मपत्नी लूम्बाराम। 6.सरोज पुत्री लूम्बाराम। 7.कुम्भाराम पुत्र धन्नाराम 8.पदमाराम पिता धन्नाराम कौम जाट सा. चिताना, तह. नौखा हिस्सा बराबर।	940/743	1/8(5–15बिस्वा) 1/8(5–15बिस्वा) 1/8(5–15बिस्वा) 1/8(5–15बिस्वा) 1/8(5–15बिस्वा) 1/8(5–15बिस्वा) 1/8(5–15बिस्वा) 1/8(5–15बिस्वा)	18,785 प्रति बिस्वा भूमि कीमत	21,60,275
					तकमीना	–
					योग अ	21,60,275
					100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	21,60,275
					योग अ+ब	**43,20,550**
2	7(23)/3/2	श्री जैठाराम दत्तक पुत्र टीकूराम कौम माली निवासी–बीकानेर आरजी काश्तकार संवत 2011	756 मि.	16 बीघा 06 बिस्वा	18,785 प्रति बिस्वा भूमि कीमत	61,23,910
					तकमीना	–
					योग अ	61,23,910
					100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	61,23,910
					योग अ+ब	**1,22,47,820**
3	7(23)/3/3	श्री जैठाराम दत्तक पुत्र टीकूराम कौम माली निवासी–बीकानेर आरजी काश्तकार संवत 2011	756 मि.	04 बीघा 04 बिस्वा	18,785 प्रति बिस्वा भूमि कीमत	15,77,940
					तकमीना	–
					योग अ	15,77,940
					100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	15,77,940
					योग अ+ब	**31,55,880**
4	7(23)/3/4	1.सुन्दर देवी धर्मपत्नी रामदेव, विष्णु पुत्र रामदेव, सोना देवी धर्मपत्नी मूलचन्द जाति माली सा. बीकानेर खातेदार।	758 मि.	10 बीघा 0 बिस्वा	18,785 प्रति बिस्वा भूमि कीमत	37,57,000
					तकमीना	–
					योग अ	37,57,000
					100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	37,57,000
					योग अ+ब	**75,14,000**
		2.लुम्बाराम पुत्र फुंसाराम जाति जाट।		04 बीघा 0' बिस्वा	18,785 प्रति बिस्वा भूमि कीमत	15,02,800
					तकमीना	–
					योग अ	15,02,800
					100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	15,02,800

				योग अ+ब	30,05,600
	3.पदमाराम पुत्र धन्नाराम जाति जाट निवासी–चिताना तहसील नौखा।		04 बीघा 18 बिस्वा	18,785 प्रति बिस्वा भूमि कीमत	18,40,930
				तकमीना	–
				योग अ	18,40,930
				100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	18,40,930
				योग अ+ब	36,81,860
	4.श्री सरेश विश्नोई पुत्र फुसाराम विश्नोई बीकानेर।		01 बीघा 02 बिस्वा	18,785 प्रति बिस्वा भूमि कीमत	4,13,270
				तकमीना	–
				योग अ	4,13,270
				100प्रतिशत अनिवार्य अवाप्ति ब	4,13,270
				योग अ+ब	8,26,540

प्रश्नगत भूमि के अन्तर्गत आवासीय अभियन्ता से पत्रांक 1485 दिनांक 12.03.2014 से सर्वे प्राप्त हुआ व दिनांक 03.05.2017 द्वारा भूमि पर स्थित स्ट्रक्चर्स का तकमीना राशि का विवरण प्राप्त हुआ, प्राप्त तकमीने के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि आवासन मण्डल द्वारा जो तकमीना प्रेषित किया गया है वह अस्पष्ट है। तकमीने में स्टक्चर्स के स्वामी का नाम अंकित नही किया गया है लेकिन वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार मालीकाना का निर्धारण नही किया गया है। इसके स्थान पर अधिसूचना में दर्ज खसरा अंकित कर दिया गया है। इसलिए यह निर्धारित नहीं किया जा सकता है कि किस खातेदारों को निर्मित भवन का मुआवजा देय होगा और किस को नही। अतः प्राप्त तकमीने के आधार पर निर्मित भवनों/स्ट्रक्चर्स की मुआवजा राशि का निर्धारण किया जा रहा है। लेकिन राजस्थान आवासन मण्डल द्वारा अपने स्तर पर निर्मित भवनों/स्ट्रक्चर्स के स्वामित्व का निर्धारण किया जायेगा तथा पात्रता निर्धारित की जायेगी, चूंकि तकमीना में सम्बन्धित प. अभियन्ता के हस्ताक्षरो का अंकन है। अतः सबन्धित वर्ष की राजस्थान आवासन मण्डल की प्रचलित बीएसआर के अनुसार होने पर सक्षम स्वीकृति के उपरान्त ही नियमानुसार पात्र खातेदारों को मुआवजा देय होगा।

<u>ग्राम चकगर्बी मुक्ता प्रसाद नगर, बीकानेर में प्राप्त तकमीना राशि का विवरण :–</u>

क्र.सं.	खसरा नं.	तकमीना राशि (मण्डल अनुसार)
1.	756	91.19 लाख

ग्राम चकगर्बी मुक्ता प्रसाद नगर बीकानेर में कुल रकबा 46–05 बीघा भूमि अवाप्ताधीन है। अतः सम्पूर्ण भूमि का अवार्ड भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 24(क) के तहत् प्रेषित किया जा रहां है।

खातेदारों को उपयुक्त मुआवजा राशि के अतिरिक्त भूमि की कीमत पर धारा 23(1)ए के नियमानुसार 12 प्रतिशत अतिरिक्त मुआवजा राशि धारा 4(1) के अन्तिम नोटिफिकेशन ऑफ पब्लिकेशन से भूमि पर कब्जा लेने या अवार्ड जारी करने तक की दिनांक जो भी पहले से न्यायालय में स्थगन की अवधि यदि कोई हो तो छोड़कर देय होगा साथ ही भू–अर्जन अधिनियम धारा 34 के

अनुसार कब्जे की दिनांक से नहीं भुगतान की गयी राशि पर 9 प्रतिशत वार्षिक दर से 1 वर्ष की अवधि तक तथा 1 वर्ष के पश्चात् भुगतान की जाने वाली राशि पर भुगतान की तिथि तक 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देय होगा जो कि **मुआवजा भुगतान में देरी ना हो उपरोक्तानुसार गणना मण्डल स्तर पर की जा सकेगी।**

संरचनाओं (स्थाई व अस्थाई निर्माण) का मूल्यांकन आवासीय अभियन्ता से पत्र दिनांक 03.05.2017 को प्राप्त तकमीना रिपोर्ट जो कि प्रचलित बी.एस.आर. की दरों पर आधारित होता है के अनुसार तय की जा कर गणना सम्बन्धित खाते में की जा रही है। यह विकल्प दिया जा रहा है। यदि कोई स्ट्रक्चर्स भूमि के कब्जे से पूर्व खातेदार द्वारा हटा दिया जाता है तो सम्बन्धित अभियन्ता की रिपोर्ट के आधार पर राशि वसूल की जावेगी।

मुआवजा राशि वर्तमान जमाबन्दी, मिलान क्षेत्रफल नामान्तरण आदि राजस्व रिकार्ड की प्रमाणित प्रति एवं किसी बैंक में रहन होने की स्थिति में सम्बन्धित अनापत्ति प्रमाण पत्र पेश करने पर ही यथोचित पहचान उपरान्त दिया जावेगा। किसी हितधारी की मृत्यु होने की दशा में वारिसान में विवाद न होने पर नामान्तरण व हाल जमाबन्दी में अंकित उत्तराधिकारियों को हिस्सेनुसार मुआवजा राशि व विकसित भूखण्ड दिये जावेंगे। इस के अतिरिक्त भी किसी सक्षम सिविल/राजस्व/उच्चतर न्यायालय में विवाद विचाराधीन होने पर उक्त अवार्ड सम्बन्धित न्यायालय के आदेशों/निर्णयों के अध्याधीन होगा तथा तदनुसार संशोधित किया जा सकेगा साथ ही अब्दुल रहमान बनाम् सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय ज़ोधपुर में पारित निर्णय की पालना में नदी/नाला/पहाड़, इत्यादि में राजस्थान आवासन मण्डल कोई निर्माण कार्य नही कर सकेगा।

अतः भूमि का अवार्ड प्रारूप आज दिनांक 7-7-2017 को तैयार कर संयुक्त शासन सचिव, प्रथम नगरीय विकास एवं आवासन विभाग, राज. जयपुर को अनुमोदनार्थ दोहरी प्रतियों में प्रेषित किया जा रहा है।

(अनिल कुमार कौशिक)
विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

अनुमोदित

संयुक्त शासन सचिव
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

337

//8//

39

राज्य सरकार के नगरीय विकास एवं आवासन विभाग के पत्र क्रमांक प.7(23)नविवि/3/2012 जयपुर दिनांक 21.07.2017 के द्वारा अवार्ड का अनुमोदन सक्षम स्तर पर लिए गये निर्णयानुसार स्वीकृति स्वामित्व के परीक्षण व अवाप्ति अधिनियमों में दिये गये प्रावधानों की पालना की शर्त पर नवीन भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा अनुमोदन किया गया। अतः इसी के अनुरूप उक्त अवार्ड को सरे इजलास घोषित किया जाकर मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से दिनांक 26-7-2017............ को जारी किया गया।

भू-अर्जन अधिनियम की धारा 12(1) के अनुसार अवार्ड सम्बन्धित पत्रावलियों में शामिल किया जाकर भू-अर्जन अधिनियम की धारा 12(2) के अन्तर्गत सभी हितधारियों को अवार्ड की प्रति जरिए नोटिस सूचित किया जावें।

(अनिल कुमार कौशिक)
विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर

क्रमांकः-ओ.एस.डी./न.वि.वि/17/540

दिनांकः- 26-7-2017

प्रतिलिपि :- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैं

1. संयुक्त शासन सचिव-द्वितीय, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. सचिव, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
3. तहसीलदार - बीकानेर।
4. सम्बन्धित खातेदार।
5. अवार्ड पत्रावली।

(अनिल कुमार कौशिक)
विशेषाधिकारी
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग
राजस्थान, जयपुर